Bihar Administrative Service Association

(Registration No-633/2003)

Shashank Shekhar Sinha
President
Mob. No.-9334118192

Sunil Kumar Tiwary
General Secretary
Mob. No.- 9431085120

Vice President
Ajay Kumar
9835737317

Subodh Kumar
7979919465

Joint Secretary
Chandrashekhar Azad
8987044905

Vikash Kumar
7717770977

Treasurer
Shashi Shekhar
9334557086

Memo No 20 Date 07/02/2023

To,

The chief secretary,
Government of Bihar, Patna
The Director General of Police,
Government of Bihar, Patna

Subject:- Non-lodging of FIR and non initiation of investigation.

Reference : Secretariat Police station S.D.O. No. 36/23 dated 2.2.2023

Sir,

With reference to the above mentioned subject, I would like to draw your attention to first information report filed by me on 2 February 2023 August (Photo Copy is annexed herewith) against Mr K K Pathak, Additional Chief Secretary,Prohibition and Excise and Registration Department, Bihar-cum-Director, General, Bihar Institute of Public administration and Rural Development ,Bihar for allegedly abusing all Bihari's, all Deputy Collectors of Bihar and all officers of registration department including female officers and spreading hatered enimity in the society among the people of Bihar.

It is surprising to note that despite supplying the CD of viral video on almost all national level TV and various local channels as speaking evidence, no action from police station proves beyond doubt that Bihar police is under undue influence of senior most IAS officer, MR K K Paathak who has been accused namely in our application.

I would like to draw your attention towards the most crucial landmark judgement when it comes to matters relating to the registration of FIR is the **Latika Kumari v. Govt. of UP & Ors.** The Supreme Court in this judgement laid down eight guidelines that are to be followed by the police till date. The essential question that arose in the case of Latika Kumari was, "whether it is binding for the police to lodge an FIR when it is informed about the occurrence of an offence which is cognizable in nature?". The Apex Court affirmatively answered this question and ruled that it is obligatory for the police to lodge an FIR on receiving information that discloses the commission of a cognizable offence.

07/02/23

O/C

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna-800001
Website: basabihar.org, E-mail Id: basassociationbihar@gmail.com

The Court further held that if it is clear that a cognizable offence has been committed, the police is not required to do any kind of preliminary inquiry. It means that the preliminary inquiry is valid merely to the extent of determining whether the offence committed is cognizable or not. Furthermore, the Apex Court clearly mentioned the kind of cases in which the preliminary inquiry could be conducted by the police, which are family disputes, commercial offences, medical negligence cases, corruption cases and cases with abnormal delay. Also, the Court ordered that the preliminary inquiry must be started within 7 days of receiving the information of offence.

Therefore, I request you to take initiative with the police department to expedite the FIR which has been lost by the by me on behalf of Bihar Administrative Service Association at the earliest so that faith in the police system of Bihar could be restored.

yours sincerely

07/02/23

(Sunil Kumar Tiwary)

7/2

(Shashank Shekhar Sinha)

पत्रांक–07 दिनांक–02.02.2023

सेवा में,

थानाध्यक्ष,

सचिवालय थाना, पटना।

विषय–सोशल मिडिया पर प्राप्त वीडियो जिसमें श्री के. के पाठक, अपर मुख्य सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग – सह– महानिदेशक, बिपार्ड द्वारा दिये गये वक्तव्य की जाँच करने एवं उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मैं सुनील कुमार तिवारी, पिता– स्व0 पृथ्वीराज तिवारी, महासचिव, बिहार एडमिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसियेशन, बासा भवन, इन्कमटैक्स गोलबंर थाना– कोतवाली, पटना सूचित करना है कि मेरे सेवा के नये पदाधिकारियों की ट्रेनिंग बिपार्ड में चल रही है इसी दौरान एक विडियो प्राप्त हुआ तथा कुछ ट्रेनी से सूचना प्राप्त हुई कि ठंड में 5 बजे सुबह उठाकर जबरदस्ती कठोर शारीरिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमारे एक सहकर्मी स्व0 विवेक कुमार की मृत्यु ट्रेनिंग के दौरान हो गई थी।

इस आधार पर संघ की कार्यकारिणी की बैठक कर ट्रेनिंग में अपेक्षित सुधार हेतु मुख्य सचिव महोदय से लिखित अनुरोध किया गया। बासा के इस ज्ञापन के कारण श्री के0के0पाठक, महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान–सह–अपर मुख्य सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा संघ एवं उनके सदस्यों से काफी क्रोधित हो गये तथा प्रेस विज्ञप्ति कर अनाप–सनाप आरोप लगाया गया। उनके इशारे पर इसी क्रम में सहायक निबंधन, महानिदेशक, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा हमारे संघ की मान्यता विधि विरूद्व तरीके से रद्द कर दी गई जबकि बिहार सोसाईटी रजिस्ट्रेशन नियमावली 2018 में उन्हें इसका कोई अधिकार नहीं है।

कल दिनांक–01.02.2023 को संध्या 07.30 बजे के आसपास सोशल मिडिया पर 36 सेकेडं का एक वीडियो प्राप्त हुआ है। वीडियो देखने से स्पष्ट है कि जिसमें श्री के. के पाठक, अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग –सह– महानिदेशक बिपार्ड द्वारा बिहार के निवासी एवं बिहार के बिहार एडमिस्ट्रेटिव सर्विस के पदाधिकारियों के लिए अभ्रद भाषा एवं गाली का प्रयोग किया जा रहा है। बिहार के वासियों एवं हमारी सेवा के पदाधिकारियों के लिए निम्न बाते कही गई है:–

"यहां का लोग आदमी जैसा है चेन्नई में आदमी साला बाएं से चलता है यहां देखे हो किसी को बाएं से चलते, लाल लाईट पर हॉर्न बजाते देखे हो किसी को, यहां साला ट्रेफिक पर पै पै हॉर्न बजायेगा साला यहां का आदमी आदमी है, डिप्टी कलेक्टर साले का यह हाल है, अब मैं इन सालों की मैं, अरे जारा दो चार लोग लिख कर दो कागज पर साला डिप्टी कलेक्टर इनकी ऐसी की तेसी करता हूँ कल जरा इसको भेजों मेरे को, मैं बासा का बैण्ड बजाता हूँ और जारा इसको मेरे को भेजों और 13 तारिख को और डिसक्स करेगें वेडन्सडेय को"

श्री पाठक द्वारा बिहार को लोगों तथा बिहार प्रशासनिक सेवा , डिप्टी कलेक्टर तथा बासा (बिहार एडमिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसियेशन) के प्रति गाली एवं आत्तिजनक शब्दों का प्रयोग

किया गया है, जो बेहद आपत्तिजनक तथा गैरकानूनी है इससे हमारी सेवा के सभी सदस्य आहत है। श्री पाठक जैस उच्च पद पर पदस्थापित पदाधिकारी द्वारा ऐसे शब्दो का प्रयोग करना इंगित करता है कि यह मानसिक रुप से बिहार के निवासी तथा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी के प्रति विद्वेष की भावना रखते है,

विडियो देखने से स्पष्ट है कि यह वीडियो सचिवालय थाना अंर्तगत नया सचिवालय (विकास भवन) अवस्थित मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मिटिंग हॉल का है। इस वीडियो में कई पदाधिकारी बैठे दिख रहे है जिनसे इस वीडियो की सत्यता की सम्पुष्टि की जा सकती है।

अतः अनुरोध है कि श्री के. के पाठक, अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग – सह– महानिदेशक बिपार्ड के विरुद्ध बिहारवासियों तथा डिप्टी कलेक्टर को गाली देने तथा अपमानजक शब्दों का प्रयोग करने हेतु भारतीय दडं सहिता की सुंसगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाय।

अनुलग्नकः– विडियो की सी0डी0

विश्वासभाजन

04/02/2023

सुनील कुमार तिवारी
महासचिव,
बिहार एडमिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसियेशन